फ़ाइल संख्या III-1/2024/NZP/समिति/2509-13
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान
मथुरा रोड, नई दिल्ली -110003

दिनांक: 12/08/2026

कार्यालय आदेश

विषय: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पुनर्गठित आंतरिक शिकायत समिति की संरचना इस प्रकार है: -

क्र.सं.	नाम और पदनाम	समिति में स्थिति	फ़ोन और ईमेल	पता
1	डॉ. आरती चावडा, बायोलोजिस्ट परामर्शी	पीठासीन अधिकारी	मो.-7698642967 rtchawda25@gmail.com	निदेशक कार्यालय, एनजेडपी, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110003
2	श्रीमती गुरलीन कौर, एडवोकेट सीनियर पैनल काउंसेल	गैर-सरकारी सदस्य	मो.- 7011431001 gurleenwaraich.adv@gmail.com	चैंबर-460, लॉयर्स चैंबर ब्लॉक-1, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली - 110003
3	श्री रोहित कुमार, सुरक्षा पर्यवेक्षक	सदस्य	मो.9910707202, rohit.07@gov.in	सुरक्षा अनुभाग, एनजेडपी, मथुरा रोड,नई दिल्ली-110003
4	सुश्री निशा , शिक्षा सहायक	सदस्य	मो.-9205095926, bansal.11nisha@gmail.com	शिक्षा अनुभाग, एनजेडपी, मथुरा रोड,नई दिल्ली-110003
5	सुश्री रिनी घोष,एमटीएस	सदस्य	मो.-7003535289, rini18ghosh@gmail.com	शिक्षा अनुभाग,एनजेडपी, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110003
6	श्रीमती देविका, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य सचिव	मो.7827342456 devika.91@gov.in	स्थापना अनुभाग, एनजेडपी, मथुरा रोड,नई दिल्ली-110003

कार्य-क्षेत्र एवं दायित्व :

क) आंतरिक समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करेगी।

ख) आंतरिक समिति इस कार्यालय से संबंधित कार्यस्थल पर शी-बॉक्स पोर्टल (www.shebox.nic.in) या अन्यथा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जांच करेगी सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को समय पर सिफारिश / रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

ग) आंतरिक समिति की अध्यक्ष एवं प्रत्येक नए सदस्य, इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।

ड) आंतरिक समिति के गैर-सरकारी सदस्य को समिति की कार्यवाही में भाग लेने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) नियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क/भत्ते, नियोक्ता द्वारा देय होंगे।

च) आंतरिक समिति अपनी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त (Minutes) तैयार करेगी। कार्यवृत्त में बैठक की तिथि एवं क्रम संख्या का उल्लेख किया जाएगा, जिससे आयोजित बैठकों की संख्या का अभिलेख रखा जा सके। कार्यवृत्त में उपस्थित सदस्यों के नाम तथा उनके हस्ताक्षर भी अंकित किए जाएंगे।

छ) आंतरिक समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को प्रस्तुत की जाएगी, ताकि उसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा सके तथा संबंधित वैधानिक दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

ज) यह वांछनीय है कि आंतरिक समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित करे, भले ही कोई मामला लंबित/विचाराधीन न हो। ऐसी बैठकों में इस कार्यालय द्वारा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक समिति से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति की तैयारी की समीक्षा की जाए तथा महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता एवं निवारक उपायों के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए जाएं।

12/08/26

(डॉ संजीत कुमार)
निदेशक

डॉ संजीत कुमार

वितरण :

1. पीठासीन अधिकारी, आंतरिक शिकायत समिति, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कार्यालय
2. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पीए
4. श्री रोहित कुमार - एनजेडपी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
5. नोटिस बोर्ड एवं गार्ड फाइल